Re-constitution of AP Wakf Board

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1917] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937
No. 1917] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

indiacode

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2015

का.आ.2452(अ).—केंद्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) से (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद और आंध्र प्रदेश और तेलगांना की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के विघटन के लिए और आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों के लिए पृथक वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के लिए स्कीम का अनुमोदन करती है और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करने हेतु निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के विघटन और पुनर्गठन के लिए स्कीम का अनुमोदन आदेश, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जब यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है ;

(ग) "विद्यमान बोर्ड" से आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

3. **विद्यमान बोर्ड का विघटन** – नियत दिन को और से, आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विघटित हो जाएगा और आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य सरकारों अधिनियम की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उनके अपने-अपने राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना करेंगी तथा इस प्रकार गठित बोर्डों की अधिकारिता आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों में आने वाले अपने-अपने क्षेत्रों पर होंगी ।

4. **आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों में वक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध** – जहां अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया वक्फ, नियत दिन से पूर्व विद्यमान बोर्ड के अधीक्षणाधीन है, और ऐसे वक्फ से संबद्ध वक्फ संपत्ति –

(i) पूर्णतया एक राज्य के भीतर स्थित है, ऐसा वक्फ नियत दिन को उस राज्य की उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी;

(ii) भागत: एक राज्य में और भागत: अन्य राज्य में स्थित है, ऐसी वक्फ संपत्ति नियत दिन को बिना किसी और जांच, प्रभार या फीस के, उन प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में स्थित संपत्ति के विस्तार तक रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी।

5. **विद्यमान बोर्ड के अधिकारों और दायित्वों का अंतरण** – (1) विद्यमान बोर्ड के सभी अधिकार और दायित्व (जिसके अंतर्गत इसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व है) उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों को अंतरित किए जाएंगे।

(2) उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड प्रसुविधाएं प्राप्त करेंगे और विद्यमान बोर्ड का वित्तीय दायित्व भी वहन करेंगे।

(3) आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन, ऐसे वित्तीय समायोजन के अध्यधीन होगा जो उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों के मध्य आस्तियों और दायित्वों के न्यायोचित, साम्यापूर्ण और युक्तियुक्त प्रभाजन हेतु आवश्यक होगा।

6. **विद्यमान बोर्ड को आस्तियों का अंतरण** – (1) चूंकि विद्यमान बोर्ड की स्थायी आस्तियां आंध्रप्रदेश और तेलगांना दोनों राज्यों के क्षेत्रों में विस्तारित है, सभी आस्तियों, जिनके अंतर्गत संपत्तियों, भूमि और भवन, वृक्ष और बाग तथा अन्य विन्यास, उनसे संबंधित अभिलेख और डिजिटल अभिलेख हैं, के संबंध में "जैसी है, जहां है" सिद्धांत अपनाया जाएगा :

परंतु किसी वक्फ से संबद्ध या वक्फ संस्था से संबंधित कोई अन्य संपत्ति और जो, यथास्थिति, आंध्रादेश या तेलगांना राज्य से बाहर स्थित है और विद्यमान बोर्ड के अधीक्षण के अधीन है, संबंधित उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों के अधीक्षण के अधीन समझी जाएगी।

(2) सभी अन्य भंडार, वस्तु और अन्य मार्ग जिसके अंतर्गत विद्यमान बोर्ड से संबंधित इलैक्ट्रानिक माल यदि वह हैदराबाद से बाहर अवस्थित है, उस उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनेगा जिसके राज्य क्षेत्र में ऐसे भंडार, वस्तुएं और अन्य मार्ग अवस्थित हैं और यदि ऐसे भंडार, वस्तुएं और अन्य मार्ग जिसके अंतर्गत हैदराबाद में अवस्थित इलैक्ट्रानिक माल है, उनका वितरण आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य वक्फ बोर्डों के मध्य 45:55 के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु केंद्रीकृत संगणना सुविधा जो विद्यान बोर्ड की अधीक्षण के अधीन है, तेलगांना के राज्य वक्फ बोर्ड को जाएगी और आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद से वित्तीय सहायता से नई केंद्रीकृत संगणना सुविधा का सृजन किया जाएगा।

(3) पूर्व आंध्र प्रदेश सरकार से वक्फ संस्थाओं से भूमि के अर्जन के मध्य प्राप्त किए जा रहे विद्यमान बोर्डके पास लगभग 40 करोड़ रुपये की स्थायी निक्षेप उस पर ब्याज सहित ऐसे उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड को वापस किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर वे वक्फ संस्थाएं स्थित है।

(4) हैदराबाद में राज्य हज हाउस भवन के समीप स्थलों में विद्यमान बोर्ड द्वारा 23 करोड़ रुपये का किया गया विनिधान उस पर ब्याज सहित आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित वक्फ संस्थाओं से प्राप्त ऐसे धन की सीमा तक आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा तथा उसका उपयोग भूमि के क्रय और हज हाउस के समीप स्थलों पर वाणिज्यिक भवनों के विकास के लिए किया जाएगा।

(5) आंध्र प्रदेश राज्य में तेलगांना में स्थित हज हाउस में वक्फ संस्थाओं से विनिधान किया गया धन उस पर ब्याज सहित आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को केवल आंध्र प्रदेश हज समिति, उर्दू अकादमी और अल्पसंख्यंक वित्त निगम द्वारा दखलकृत हज हाउस के परिसरों को खाली करने के पश्चात् वापस किया जाएगा।

(6) हज हाउस में स्थित प्राइवेट वाणिज्यिक संस्थाओं से संगृहीत भाटक आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड औरतेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड के मध्य 45:55 के अनुपात में अपने-अपने राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या पर ऐसे समय तक साझा किया जाएग जब तक आंध्रप्रदेश और तेलगांना राज्य सरकारों की राजधानी हैदराबाद संयुक्त रूप से बनी रहती है :

परंतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के नए स्थान पर अंतरण पर तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को हज हाउस में विनिधान किए गए धन की पूरी रकम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित वक्फ संस्थाओं से प्राप्त ऐसे धन की सीमा तक, उस पर ब्याज के बिना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के अंतरण के छह मास के भीतर अंतरित करेगी।

(7) नियत दिन को विद्यमान बोर्ड के खाते में चालू रोकड़ अतिशेष आंध्र प्रदेश और तेलगांना के उत्तराधिकारी राज्य बोर्डों के मध्य उन राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर 45:55 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

(8) विद्यमान बोर्ड के यानों का वितरण आंध्र प्रदेश और तेलगांना के उत्तराधिकारी राज्य बोर्डों के मध्य यानों के कुल सकल मूल्य के आधार पर अवधारित किया जा सकेगा और यान दोनों राज्य बोर्डों के बीच 45:55 के अनुपात में सकल मूल्य के आधार पर आबंटित किए जाएंगे ।

(7) बकाया अभिदायों और देयों की वसूली – विद्यमान बोर्ड के अधीक्षण के अधीन किसी वक्फ संपत्ति के संबंध में अभिदाय और अन्य संदेय देयों की वसूली का अधिकार जिनकी वसूली नियत दिन को नहीं की गई है, -

(i) यदि पूरी वक्फ संपत्ति नियत दिन को एक राज्य में स्थित हो ऐसे राज्य वक्फ बोर्ड से संबंधित है जिसकी ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसके भीतर ऐसी संपत्ति स्थित है;

(ii) अन्य सभी दशाओं में राज्य के राज्य वक्फ बोर्ड से संबंधित होगी जहां संपत्ति नियत दिन को रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी ।

(8) विद्यमान बोर्ड के कर्मचारीवृंद का प्रभाजन – (1) विद्यमान बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी जो आंध्र प्रदेश का मूल निवासी है, नियत दिन को और से आंध्रप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित किया जाएगा और वहां का कर्मचारी बनेगा तथा ऐसे कर्मचारियों द्वारा सभी प्रयोजनों के लिए की गई सेवाएं आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(2) विद्यमान बोर्ड के सभी अन्य कर्मचारी नियत दिन को और से तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित किये जाएंगे और वहां के कर्मचारी बनेंगे तथा ऐसे कर्मचारियों द्वारा विद्यमान बोर्ड के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए की गई सेवाएं तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(3) विद्यमान बोर्ड में कर्मचारी के जन्म का अवधारण आंध्रप्रदेश और तेलगांना दोनों राज्य सरकारों की सभी अन्य कर्मचारियों के द्विशाखन में उन सरल किए गए मानदंडों के अनुसार होगा ।

(4) प्रत्येक कर्मचारी अनुशासनिक मामलों के संबंध में सेवा की उन्हीं शर्तों और उन्हीं अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा और अध्यधीन होगा जिनके अध्यधीन वह नियत दिन से ठीक पूर्व था ।

(5) जिन कर्मचारियों ने विद्यमान बोर्ड से ऋण और अग्रिम लिए हैं उनके परिसमापन तक इस उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड जिस पर वे आबंटित किए गए हैं किश्तों का संदाय करते रहेंगे ।

9. अभिलेखों का अंतरण – (1) विद्यमान बोर्ड से संबंधित और अनन्यत: आंध्रप्रदेश राज्य से संबंधित सभी अभिलेख (जिनके अंतर्गत डिजिटल अभिलेख हैं) और अन्य दस्तावेज नियत दिन से आंध्रप्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन इस निमित्त सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को सौंपे जाएंगे ।

(2) विद्यमान बोर्ड से संबंधित सभी अन्य अभिलेख और दस्तावेज नियत दिन से तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड से संबंधित होंगे ।

10. विद्यमान बोर्ड के समक्ष लंबित कतिपय कार्यवाहियों से संबंधित विशेष उपबंध – नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान बोर्ड के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां जिनको बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों की स्थिति और अन्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया है, -

(i) जिनका निपटान आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणन के यथाशीघ्रपश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएगी;

(ii) जिनका निपटान तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणन के यथाशीघ्रपश्चात् तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएगी;

11. विधिक कार्यवाही – जहां नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान बोर्ड आंध्र प्रदेश राज्य या तेलगांना राज्य में किसी न्यायालय या अधिकरण में संस्थित किसी विधिक कार्यवाही का पक्षकार है, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड या तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड ऐसी कार्यवाही के लिए उस दिन के पश्चात् पक्षकार के रुप में प्रतिस्थापित किया जाएगा या उसमें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा तथा कार्यवाही तद्नुसार जारी रह सकेगी ।

12. विद्यमान बोर्ड द्वारा प्रवृत्त रहने के लिए बनाए गए विनियम -- विद्यमान बोर्ड द्वारा बनाए गए और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी विनियम, जब तक कि उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा परिवर्तित नहीं की जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य में प्रवृत्त रहेंगे ।

13. विद्यमान बोर्ड द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों की व्यावृत्ति – (1) नियत दिन से पूर्व अधिनियम के अधीन तेलगांना राज्य में विद्यमान बोर्ड द्वारा या की ओर से कही गई सभी बातें या की गई कार्रवाई तेलगांना राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा की गई बातें या की गई कार्रवाइयां समझी जाएंगी ।

(2) नियत दिन से पूर्व अधिनियम के अधीन आंध्र पदेश राज्य में विद्यमान बोर्ड द्वारा या की ओर से कही गई सभी बातें या की गई कार्रवाई आंध्र पदेश राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा की गई बातें या की गई कार्रवाइयां समझी जाएंगी।

14. विवादों का निपटान – वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम से संबंधित कोई विवाद आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों के मतभेद पारस्परिक करार के माध्यम से निपटाया जाएगा, ऐसा न होने की दशा में ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे किसी विवाद्यक का विनिश्चय करेगी जिसके संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य सरकारें कोई करार करने में विफल रही हों और केंद्रीय सरकार का ऐसा विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

[फा. सं. 8-10/2014-वक्फ]

राकेश मोहन,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
ORDER

New Delhi, the 7th September, 2015

S.O.2452(E).–In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) to (5) of section 102 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government, after consulting the Central Waqf Council and the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, hereby approves the scheme for dissolution of the Andhra Pradesh State Waqf Board and for reconstitution of separate Waqf Boards for the States of Andhra Pradesh and Telangana and makes the following order to give effect to the scheme so approved, namely:–

1. Short title and commencement.– (1) This order may be called the Approval of Scheme for Dissolution and Reconstitution of the State Waqf Boards for the States of Andhra Pradesh and Telangana Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In this order, unless the context otherwise required,–

(a) "Act" means the Waqf Act, 1995 (43 of 1995);

(b) "appointed day" means the date on which this order is published in the Official Gazette;

(c) "existing Board" means the Andhra Pradesh State Waqf Board;

(d) "section" means section of the Act.

3. Dissolution of existing Board.– On and from the appointed day, the Andhra Pradesh State Waqf Board shall stand dissolved and the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall establish their own State Waqf Boards in accordance with the provisions contained in section 13 and 14 of the Act and the Boards so constituted shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Andhra Pradesh and Telangana.

4. Provisions for registration of auqaf in the States of Andhra Pradesh and Telangana.– Where, a waqf registered or deemed to be registered under the Act is under the superintendence of the existing Board prior to the appointed day, and the waqf property attached to such waqf is situated—

(i) wholly within one State, such waqf shall, as on the appointed day, be deemed to have been registered with the successor State Waqf Board of that State;

(ii) partly in one State and partly in another State, such waqf property shall, as on the appointed day, be deemed to have been registered, without any further enquiry, charge or fee, in each of those States to the extent of the property situated in each State.

5. Transfer of rights and liabilities of existing Board.–(1) All the rights and liabilities of the existing Board (including the rights and liabilities under any contract made by it) shall be transferred to the successor State Waqf Boards.

(2) The successor State Waqf Boards shall receive the benefits as also bear the financial liabilities of the existing Board.

(3) The apportionment of assets and liabilities shall be subject to such financial adjustment as may be necessary to secure a just, equitable and reasonable apportionment of the assets and liabilities among the successor State Waqf Boards.

6. Transfer of assets of existing Board.–(1) As the fixed assets of the existing Board are spread over the areas of both Andhra Pradesh and Telangana, the principle of "as is where is" shall be adopted in respect of all assets including properties, land and buildings, trees and orchards and other endowments, records and digital records relating thereto :

Provided that any other property attached to a waqf or belonging to a waqf institution which are situated outside the State of Andhra Pradesh or, as the case may be, Telangana, and are under the superintendence of the existing Board, shall be deemed to be under the superintendence of respective successor State Waqf Boards.

(2) All other stores, articles and other goods including electronic goods belonging to the existing board shall in so far as they are located outside Hyderabad, become the property of the successor State Waqf Boards in whose territory such stores, articles and other goods are located and if such stores, articles and other goods including electronic goods are located within Hyderabad, they shall be distributed between the State Waqf Boards of Andhra Pradesh and Telangana in the ratio of 45:55 :

Provided that the Centralised Computing Facility which is under the superintendence of the existing Board shall go to the State Waqf Board of Telangana and a new Centralised Computing Facility shall be created for the State Waqf Board of Andhra Pradesh with the financial assistance from the Central Waqf Council.

(3) The fixed deposits of around rupees forty crores with the existing Board, being received from the erstwhile Government of Andhra Pradesh on account of acquisition of land from Waqf Institutions, alongwith interest thereon, shall be returned to the successor State Waqf Board within whose jurisdiction those waqf institutions are situated.

(4) The investment of rupees twenty-three crores made by the existing Board in the sites adjacent to the State Haj House building at Hyderabad shall be given to the Andhra Pradesh State Waqf Board, with interest thereon, to the extent such money was received from the waqf institutions situated within the State of Andhra Pradesh and utilised for purchase of land and for development of commercial buildings on the sites near the Haj House.

(5) The money invested from waqf institutions in the State of Andhra Pradesh in Haj House situated in Telangana shall be returned to the Andhra Pradesh State Waqf Board, without any interest thereon, only after vacating of the premises of Haj House occupied by the Andhra Pradesh Haj Committee, Urdu Academy and Minorities Finance Corporation.

(6) Rents collected from private commercial institutions located in Haj House shall be shared in the ratio of 45:55 between the Andhra Pradesh State Waqf Board and the Telangana State Waqf Board based on the Muslim population in the respective States till such time as the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana continue to jointly have Hyderabad as their Capital:

Provided that on the transfer of State Capital to a new location by the Government of Andhra Pradesh, the Telengana State Waqf Board shall transfer to the Andhra Pradesh State Waqf Board, the total sum of money invested in the Haj House to the extent such money was received from the Waqf institutions located in the State of Andhra Pradesh, without interest thereon, within six months of the transfer of State Capital by the Andhra Pradesh Government.

(7) Running cash balance in the account of the existing Board as on the appointed day shall be divided between the successor State Boards of Andhra Pradesh and Telangana in the ratio of 45:55 on the basis of Muslim population in those States.

(8) The distribution of vehicles of the existing Board between the successor State Boards of Andhra Pradesh and Telangana may be determined on the basis of total aggregate value of vehicles and the vehicles shall be allocated on the basis of aggregate value in the ratio of 45:55 between the two State Boards.

7. Recovery of outstanding contributions and dues.– The right to recover contribution and other dues payable, but not so recovered, as on the appointed day, in respect of any waqf property under the superintendence of the existing Board shall,–

(i) if the whole of the waqf property is situated in one State, as on the appointed day, belong to the State Waqf Board having jurisdiction over the areas within which such property is situated;

(ii) in all other cases, belong to the State Waqf Board of the State, where the property, as on the appointed day, is deemed to have been registered.

8. Apportionment of staff of existing Board.– (1) Every employee of the existing Board, who is a native of Andhra Pradesh, shall, on and from the appointed day, be transferred to and become the employee of the Andhra Pradesh State Waqf Board and the services rendered by such employees for all purposes, be deemed to be service rendered by the employee of the Andhra Pradesh State Waqf Board.

(2) All other employees of the existing Board shall, on and from the appointed day, be transferred to and become employees of the Telangana State Waqf Board and the services rendered by such employees under the existing Board shall, for all purposes, be deemed to be services rendered by the employees of the Telangana Waqf Board.

(3) The determination of nativity of the employee in the existing Board shall be in accordance with the criteria followed in bifurcation of all other employees of the two State Governments of Andhra Pradesh and Telangana.

(4) Every employee shall be entitled to, and be subject to, the same conditions of service and the same rights and liabilities as respects disciplinary matters as he was entitled to, and was subject to, immediately before the appointed day.

(5) The employees who have taken loans and advances from the existing Board shall continue to pay the installments until liquidation thereof, to the successor State Waqf Board to which they are allocated.

3819 GI/15-2

9. Transfer of records.– (1) All records (including digital records) and other documents belonging to the existing Board and exclusively relatable to the Andhra Pradesh State shall, with effect from the appointed day, be handed over to the Chief Executive Officer of the Andhra Pradesh Waqf Board or to a person duly appointed by the Government of Andhra Pradesh in this behalf under the Act.

(2) All other records and documents belonging to the existing Board shall, with effect from the appointed day, belong to the Telangana State Waqf Board.

10. Special provisions relating to certain proceedings pending before the existing Board.– All proceedings pending before the existing Board immediately before the appointed day as are certified by that Board, having regard to the situation of the waqf properties and other circumstances, –

(i) which ought to be disposed of by the Andhra Pradesh State Waqf Board, shall as soon as may be after such certification, be transferred to the Andhra Pradesh State Waqf Board;

(ii) which ought to be disposed of by the Telangana State Waqf Board shall, as soon as may be, after such certification, be transferred to the Telangana State Waqf Board.

11. Legal proceedings.– Where immediately before the appointed day, the existing Board is a party to any legal proceeding instituted in any court or Tribunal in the State of Andhra Pradesh or in the State of Telangana, the Andhra Pradesh State Waqf Board or the Telangana State Waqf Board, as the case may be, shall be deemed to be substituted after that day as a party to such proceeding or added as a party thereto, and the proceeding may continue accordingly.

12. Regulations made by the existing Board to continue in force.– All regulations made by the existing Board and in force immediately before the appointed day shall, until altered by the successor State Waqf Boards, continue to be in force in the States of Andhra Pradesh and Telangana.

13. Saving of certain actions taken by the existing board.– (1) All things done or actions taken by or on behalf of the existing Board in the State of Telangana under the Act, before the appointed day, shall be deemed to be things done or actions taken by the Telangana State Waqf Board.

(2) All things done or actions taken by or on behalf of the existing Board in the State of Andhra Pradesh under the Act, before the appointed day, shall be deemed to be things done or actions taken by the Andhra Pradesh State Waqf Board.

14. Resolution of disputes.– (1) Any dispute regarding the amount of financial assets and liabilities shall be settled through mutual agreement between the States of Andhra Pradesh and Telangana failing which the decision of the Central Government in such matters shall be binding.

(2) The Central Government shall decide any issue in respect of which the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana fail to reach an agreement and such decision of the Central Government shall be binding.

[F.No.8-10/2014-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.